दिनांक 04 जून 2020,

धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

दिनांक 4 जून, 2020

भारत सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. पृष्ठभूमि

धार्मिक स्थानों/पूजा स्थलों में बड़ी संख्या में लोग आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे परिसरों में सामाजिक दूरी के साथ-साथ अन्य सावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. विस्तार (क्षेत्र)

यह दस्तावेज़ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों को रखांकित करता है, जिन्हें विशेष स्थानों पर विशिष्ट उपायों के अतिरिक्त अपनाया जाना चाहिए।

कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल/पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के धार्मिक/पूजा स्थल खुलेंगे।

3. सामान्य निवारक उपाय

पैसठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओ और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले संगठन तदनुसार सलाह देगें।

सामान्य निवारक उपायों में सरल जन स्वास्थ्य के उपाय शामिल हैं, जिनका आनुपालन कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उपायों का अनुपालन इन संस्थानों में हर समय सभी (कार्यकर्त्ता और आगंतुकों) द्वारा किया जाना चाहिए।

इसमें शामिल हैं:-

□. प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक संभव हो सकें सार्वजानिक स्थानों पर न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए।

□. चेहरे को फेस कवर/मास्क से ढांकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

□. हाथ गंदे न दिखने पर भी, साबुन एवं पानी से बार-बार चालीस से साठ सेंकेंड तक अपने हाथ अवश्य धोए या अल्कोहल युक्त हैंड सेनिटाइज़र से (कम से कम बीस सेकेंड तक) हाथों को सेनिटाइज़ किया जाए, जहां उपयुक्त हो, सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

□. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति के लिए मुंह और नाक ढंकने का सख्त अभ्यास शामिल है, जबकि खांसते/छींकते समय टिश्यू/रूमाल/फ्लेक्स कोहनी (कोहनी मोड़कर) का उपयोग किया जाना चाहिए तथा उपयोग के बाद टिश्यू का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

□. सब अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेगें और किसी भी रोग से पीड़ित होने की सूचना जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन देगें।

□. थूकना सर्वथा वर्जित होगा।

□. आरोग्यसेतु ऐप की स्थापना (इंस्टालेशन) करना और सभी को उपयोग सलाह दी जाएगी।

4. सभी धार्मिक स्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे:-

□. प्रवेशद्वार पर हाथों की स्वच्छता (सेनिटाइज़र डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग के प्रावधान किए जाएगे।

□. परिसर के भीतर केवल अलक्षणी (असंक्रमित) व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

□. केवल फेस कवर/मास्क का उपयोग करने पर ही व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

□. कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में प्रमुखता से पोस्टर/स्टैंडी प्रदर्शित किए जाएगें। कोविड-19 निवारक उपायों पर जागरूकता फ़ैलाने के लिए नियमित रूप से दृश्य-श्रव्य क्लिप दिखाए जाएगे।

□. यदि संभव हो तो आगंतुकों को अंतराल अर्थात् थोड़े-थोड़े समय के पश्चात् प्रवेश दिया जाएगा।

□. जूते/चप्पल अपने वाहन के अंदर रखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक व्यक्ति/परिवार के लिए अलग-अलग समय (स्लॉट) में उन्हें रखा जाना चाहिए।

□. पार्किंग स्थल पर और परिसर के बाहर सामाजिक दूरी के मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए समुचित भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा।

□. परिसर के बाहर और भीतर हर समय सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा।

□. परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर पर्याप्त दूरी पर विशिष्ट बनाए जाएगे और ऐसा करते हुए कतार प्रबंधन किया जाएगा।

□. विशेषत: आगंतुकों के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार व्यवस्थाएं की जाएगी।

□. जब प्रवेश के लिए कतार बने तब उस समय न्यूनतम छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाये।

□. परिसर में प्रवेश करने से पहले लोगों को अपने हाथ-पैर को साबुन और पानी से धोना चाहिए।

□. बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाये ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहें।

□. एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें परस्पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों के तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए। ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

□. मूर्तियों/प्रतीकों/पवित्र पुस्तकों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

□. बड़ी सभाएं/समूह में एकत्रण पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।

□. संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं परंतु भजन गायकों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

□. एक दूसरे को बधाई देते हुए शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए।

□. सार्वजानिक प्रार्थना के लिए चटाई/आसन से बचा जाना चाहिए और श्रद्धालु/अनुयायियों को अपनी व्यक्तिगत चटाई/आसन या कपड़े का टुकड़ा लाना चाहिए, जिसे वे अपने साथ वापस ले जा सकते है।

□. धार्मिक स्थान के अंदर कोई भी भौतिक चढ़ावा जैसे कि प्रसाद/पवित्र जल का वितरण या छिड़काव की अनुमति नहीं होगी।

□. सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि की तैयारी और भोजन वितरण में शारीरिक दूरी के मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

□. परिसर के भीतर शौचालय और हाथ व पैर धोने के स्थलों/क्षेत्रों का विशेषतौर पर ध्यान देते हुए प्रभावी सैनिटाइज़र कराया जाएगा।

□. धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार-बार सफ़ाई एवं विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाएगा।

□. परिसर में फर्श की सफ़ाई विशेष रूप से बार-बार कराई जाएगी।

□. कर्मचारियों एवं आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क/फेस कवर/ग्लब्स के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

□. परिसर में पुष्ट/संभावित संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के पाए जाने पर-

क. व्यक्ति को पृथक कमरे/स्थान पर रखें जहां अन्य लोगों की आवाजाही न हों।

ख. चिकित्सक द्वारा जांच किए जाने तक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर उपलब्ध कराये।

ग. तत्काल निकटस्थ अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दें अथवा जिले/राज्य की हेल्पलाइन पर सूचित करें।

घ. प्राधिकृत जन स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आर.आर.टी./चिकित्सक) द्वारा ज़ोखिम आकलन के अनुसार प्रबंधन, संपर्क निगरानी (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) एवं विसंक्रमण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

ड़. व्यक्ति के सकारात्मक पाए जाने पर धार्मिक प्रतिष्ठान के परिसर का विसंक्रमण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।